ISBN : 978-81951728-5-6

मानवाधिकार एवं महिलाएं

डॉ. सुनीता पाण्डेय
सह आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

प्राचीनकाल से भारत में नारी का स्थान सर्वोत्तम रहा है। फिर भी इस पितृसत्तात्मक समाज में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारत में आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज भी महिलायें अपने मानवाधिकारों से वंचित है। सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुये है और गरिमा एवं अधिकारों में समान है फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुयी है। जिससे कोई भी समाज और समुदाय अछूता नहीं है। महिला विरोधी हिंसा के लिये समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक व वैधानिक उत्तरदायित्व निभाना होगा। भारत जैसे विकासशील देश में मानवाधिकार एक ऐसा मुद्दा है जिस हेतु दीर्घकालीन नीति तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही मीडिया भी मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभाव पूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

मानव गरिमा व स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति के लिए एक ईश्वरीय देन हैं। मनुष्य के इसी बोध के कारण 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने न्यक्ण्भ्ण्त्ण् को पारित किया। बाद में कई और

ISBN : 978-81951728-5-6

प्रस्ताव पारित किये गये जिनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों व मानव गरिमा को सुरक्षित करने का प्रयोजन किया गया। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र देशों समेत भारत भी इन प्रस्तावों की परिपालना हेतु कटिबद्ध हैं।

10 दिसम्बर को प्रतिवर्ष विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार, मानव जीवन के लिए अपरिहार्य आवश्यकता हैं। प्रत्येक मानव को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के साथ-साथ उसकी भोजन, वस्त्र व आवास की बुनियादी आवश्यकता पूर्ण होना भी मूलभूत अधिकारों में मुख्य हैं। मानवीय समाज में सभी सदस्यों की अन्तःनिहित गरिमा और सम्मान अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार है। किसी भी मनुष्य को अत्याचार और उत्पीडन के विरूद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्बन लेने के लिए विवश नहीं किया जाता हैं, तो यह आवश्यक हैं कि उसके अधिकारों का संरक्षण विधिसम्मत् शासन द्वारा किया जाये।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिकार का प्रादुर्भाव मन के भाव में होता है। सॉमंड का मानना हैं कि, "अधिकारों का सम्बन्ध हितों से होता हैं और इनको वास्तव में औचित्य के नियमों से संरक्षित कहा जा सकता हैं अर्थात् वह नैतिक और विधिक नियमों से संरक्षित होता हैं।"

विषय वस्तुः

प्रस्तुत अध्याय में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या भारत में महिलाओं के मानवाधिकार सुरक्षित है? देश में सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे प्रयास सार्थक एवं पर्याप्त है या उन्हें अधिक विस्तृत रूप में अपनाने की जरूरत है।

ISBN : 978-81951728-5-6

मानवीय समाज की संरचना दो विपरीतलिंगी वर्गों महिला-पुरूष से मिलकर हुई है। शारीरिक लिंगभेद के अतिरिक्त दोनों वर्ग समरूप है, दोनों की आधारभूत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकतायें समरूप हैं। महिला एवं पुरूष के मध्य सम्बन्धों को व्यवस्थित, सुसंगठित एवं नियंत्रित करने की व्यवस्था समाज में निहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाती रही हैं।

महिला समाज का आधा हिस्सा हैं। महिलाओं के बिना घर-परिवार, समाज या देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ धार्मिक कार्यों को सम्पादित करने जैसे कार्यों को पूर्ण करना महिलाओं के बिना सम्भव नहीं है। महिला परिवार व समाज की धुरी है। प्रारम्भ में महिला व पुरूष के कार्यों में कोई भेद नहीं था। ज्यों-ज्यों मानव विकास की ओर बढ़ता गया उसके कार्यों में विभाजन होता गया। इन कार्यों में विशिष्टीकरण आया तथा महिला एवं पुरूष में श्रम विभाजन हुआ। अतीत से ही महिला का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" हमारा आदर्श रहा है। यह स्थिति वर्षों तक चलती रही परन्तु बीच में कुछ ऐसा समय आया जब मनुष्य ने महिला को केवल भोग विलास की वस्तु मान लिया। महिला पर अनेक अत्याचार किये जाने लगे। वह शोषण और यातना की शिकार होने लगी। धीरे-धीरे महिलाओं से उनके अधिकार छीनते चले गये।

21वीं सदी में कदम रखने वाले भारतीय समाज में महिला को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ हैं जो उसे अपेक्षित था। भारत के साथ-साथ पश्चिमी जगत में भी महिला की स्थिति निम्न तथा ठीक रही

ISBN : 978-81951728-5-6

है। पाश्चात्य समाज में ''नारी सर्वत्र पूज्यन्ते'' जैसी मान्यता नहीं है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ काल से महिला को ''माता'' के रूप में मान्यता प्राप्त है। महिला और पुरूष को एक-दूसरे का पूरक भी कहा जाता हैं परन्तु आज महिलायें पुरूषों की तुलना में निम्न श्रेणी का जीवन यापन कर रही है। महिलायें शान्तिपूर्वक सभी कुछ सहने के लिए अभिशप्त हैं एवं सहनशीलता की मूर्ति कहलाती हैं।

महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने 'मानवीय अधिकारों का घोषणा-पत्र' स्वीकार किया। इस पत्र की स्वीकृति के पश्चात संसार भर की महिलाओं में नई आशा का संचार हुआ और वे अपनी भेदभावहीन वैधानिक स्थिति को सामाजिक स्थिति में बदलने के लिए कटिबद्ध हो गई।

भारतीय समाज में वैदिक काल में स्त्री व पुरूष को समानता का दर्जा दिया जाता था। पुरूषों के समान महिलाये वेदाध्ययन करती थी एवं यज्ञ व हवन में भाग लेती थी। महिलाओं ने राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका का प्रदर्शन किया। धार्मिक प्रचार-प्रसार में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही हैं।

वैदिक काल से लेकर मुगलकाल के पूर्व तक महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में महिला को पृथ्वी पर दैवीय गुणांे का प्रतीक माना जाता था। इस कारण उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे न तो नौकरी करती थी, न ही पारिश्रमिक प्राप्त करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तात्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनी हुई सरकारें नहीं होती थी, अतः स्त्रियों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं

ISBN : 978-81951728-5-6

था। सभाओं में जुआ, शराब आदि गतिवधियाँ चलने के कारण स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कौटिल्य एवं शुक्र ने क्रमशः अर्थशास्त्र एवं शुक्रनीतिसार में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का समर्थन किया हैं।

पौराणिक, ब्राह्मण एवं मध्यकाल में अनेक प्रतिबन्धों के कारण स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई। पर्दा प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह, निषिद्ध, पति को देवता का दर्जा देना, सती प्रथा आदि का प्रचलन बढ़ गया। विदेशी आक्रान्ताओं के भारत में प्रवेश के पश्चात् महिलाओं के सम्मान व भूमिका का और अधिक ह्रास हुआ। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन गया। जाति प्रथा के कठोर बन्धन थोप दिए गए। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आरम्भ हुआ जिससे उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की बहस शुरू हुई। महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक बुराईयों का अन्त करने हेतु कानून बनने लगे जैसेः- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विशेष विवाह अधिनियम 1872, शारदा एक्ट 1926 आदि। साथ ही राजाराम मोहनराय, महादेव गोविन्द रानाडे, दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे जागरूक नेताओं ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास प्रारम्भ किए। महिलाओं के बहुमुखी विकास से सम्बन्धित अनेकों सामाजिक संगठनों की स्थापना हुई जैसे - भारत महिला परिषद् 1904, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इण्डिया 1925 आदि।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत में महिलाओं द्वारा स्वाधीनता संग्राम में व्यापक एवं अभूतपूर्व उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया। इस दृष्टि से झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत

ISBN : 978-81951728-5-6

महल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेन्ट, अरूणा आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी, मातंगनी हाजरा एवं इंदिरा गांधी आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों व समस्याओं में भारतीय समाज में महिलाओं को उचित व सम्मानजनक स्थान दिलाना भी संविधान निर्माताओं के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती थी क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित अनेक समस्याएं जैसे बालिकाओं व महिलाओं के प्रति भेदभाव, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, हर क्षेत्र में भेदभाव व समान अवसर का अभाव, मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रताओं से वंचित होना, पराश्रित होना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, बाल-विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, बच्चों के पालन-पोषण का दायित्व केवल माँ पर होना, राष्ट्रीय व क्षेत्रिय स्तर पर भी किसी भी कार्यक्रम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य होना, अशिक्षा, रोजगार के चयन में स्वतंत्रता न होना, समान कार्य लेकिन असमान पारिश्रमिक होना, रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव होना, महिला स्वास्थ्य के प्रति समाज का उपेक्षात्मक दृष्टिकोण, प्रसवकाल के दौरान मृत्यु, कुपोषित महिलाओ की अत्यधिक संख्या थी। इसी प्रकार आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में अवसरों की कमी, परिवार में आर्थिक भूमिका की अस्वीकृति तथा ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होना, लम्बी व पैचीदी कानूनी समानता के कारण व्यवहार में कानूनी समानता न होना आदि थी। जीवन का हर पक्ष शोषण व असमानता का शिकार था। सम्पत्ति का अधिकार नहीं था। विधवाओं की स्थिति शोचनीय थी।

महिलाओं को इस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए

ISBN : 978-81951728-5-6

संविधान निर्माताओं ने अनेक सांवैधानिक व कानूनी प्रावधान किए। भेदभाव को रोकने के लिए संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तथा अनुच्छेद 14, 15, 15(3) प्रमुख हैं। यौन शोषण व अवैध व्यापार से सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 3 में व्यवस्था दी गई है। राजनीतिक समानता हेतु अनुच्छेद 325 व 326 की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक पुरूषों के समान राष्ट्रीयता का अधिकार दिया गया है। स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है। महिला रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16, 23, 39(घ) (च), 41, 4 में व्यवस्था की गई है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद 46 में भारत सरकार को निर्देशित किया गया है।

इन सांविधानिक प्रावधानों को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए हैं तथा नीतियों का निर्माण किया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। जैसे-माँ का बच्चे पर अधिकार सम्बन्धी फैसला-1999, विधवा पुत्री गुजारा भत्ता-2002, बलात्कार बीमा फैसला 1999, पीड़िता की गवाही सम्बन्धी फैसला, नसबन्दी के बाद माँ बनने पर महिला क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसला-2000, तलाक से सम्बन्धित निर्णय-2000, मुस्लिम महिलाओं को निर्वाह भत्ता फैसला आदि प्रमुख है।

मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी प्रावधानः भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में प्रमुख रूप से सती प्रथा निषेध अधिनियम

ISBN : 978-81951728-5-6

1987, वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, फैक्ट्री एक्ट संशोधन अधिनियम 2003, विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, भरण-पोषण अधिनियम 1956, दहेज विरोधी अधिनियम 1961, प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन एवं प्रतिशोध) अधिनियम 1994 आदि हैं तथा प्रमुख नीतियां व आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1960, 26 सितम्बर 1996 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश, जिसमें विद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में माता का नाम दर्ज करवाना, 84 व 85वां महिला आरक्षण अधिनियम (लोक सभा व विधान सभा में 33 प्रतिषत आरक्षण देने हेतु), किषोरी बालिका योजना 1992, महिला समाख्या योजना 1989, राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986, आॅपरेषन ब्लैक बोर्ड योजना, महिला अध्ययन केन्द्र व सेल, कस्तूरबा गाँधी योजना 1997, भाग्य श्री बाल कल्याण पॉलिसी, वीमेन्स इंटिग्रेटेड लर्निंग फॉर लाईफ स्कीम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कार्यक्रम 1992, स्वास्थ्य सरणी योजना 1997, राज-राजेश्वरी बीमा योजना 1997, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय महिला कोष 1993, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, महिला विकास निगम की ऋण संवर्धन योजना, स्वशक्ति परियोजना 1998, महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजना 2001, महिला समृद्धि योजना 1993 आदि हैं।

महिलाओं को पुरूषों के समान वैधानिक अधिकार तो प्राप्त हैं परन्तु सामाजिक दायरे में उनका भलीभांति क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कुछ सुविधा सम्पन्न महिलाओं को छोड़कर आम महिला आज

ISBN : 978-81951728-5-6

भी सामाजिक भेदभाव व अन्याय की शिकार हो रही है। प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी का कहना है कि, ''समाज के हर वर्ग के पुरूषों का महिलाओं पर दबाव हैं, जिसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार हैं जो भी पुरूष इस व्यवस्था मे पैदा होगा, औरतों का शोषण करेगा ही। मेरे विचार से जब तक समाज से वर्ग विभेद दूर नहीं होता तब तक महिला पुरूष का अन्तर भी रहेगा ही। आदिवासी समाज में प्रायः वर्ग भेद नहीं हैं। महिला पुरूष के बीच एक हद तक समानता की स्थिति हैं। ''

इक्कीसवी सदी में प्रगति करते भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की है। सूचना क्रान्ति में कई मील के पत्थर स्थापित किये हैं लेकिन दूसरी ओर भारतीय समाज आज भी कई रूढ़िवादी मान्यताओं व अंधविश्वासों की गिरफ्त में धंसा हुआ हैं। महिलाओं का दहेज के लिये उत्पीड़न तथा कन्या भ्रूण हत्याएं आज नये रूप में महिला अत्याचार व शोषण को जन्म दे रही है। इसके अतिरिक्त अनेक रूपो में शारीरिक व मानसिक रूप से महिलाओं का उत्पीड़न समाज में जारी है।

भारत देश में आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास के कारण डायन के नाम पर महिलाओ को आये दिन प्रताड़ित किया जाता है। अशिक्षित व अज्ञानी ग्रामीण व आदिवासी मानते हैं कि गांव में किसी बीमारी या प्रकोप का मुख्य कारण डायन प्रभाव हैं। गांव की किसी विधवा, असहाय या वृद्धा को डायन घोषित कर उन पर अत्याचार किये जाते हैं। डायन घोषित की गई महिला का एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार व तिरस्कार किया जाता है। भरी सभा में उसे बेइज्जत करना, निर्वस्त्र कर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाना, बाल काटना, मानव मल-मूत्र पिलाना, पीट-पीटकर मार

ISBN : 978-81951728-5-6

डालना आदि विभत्स घटनाएं समाज में घटित हो ही है, जो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है।

निष्कर्ष:-

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ महिला सशक्तिकरण के दावे किये जा रहे है। आज भारत में महिलायें अपनी योग्यता एवं आत्मविश्वास के कारण सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में तथा शिक्षा के आधार पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जज, प्रशासनिक अधिकारी, वकील और वैज्ञानिक तक नजर आ रही है। हर क्षेत्र में महिलायें पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर भी अगर गहराई से देखा जाये तो आज भी बहुत सी महिलायें प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से शोषित व हिंसा का शिकार हो रही हैं। आये दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा ही है। प्रतिदिन न जाने कितनी ही महिलायें दहेज की बलिवेदी पर चढ़ाई जा रही हैं। कितनी ही कन्यायें जन्म लेने से पूर्व कोख में ही मारी जा रही है। अनगिनत महिलायें शिक्षित होने के बावजूद भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं।

मानवाधिकार एवं महिलाओं के सन्दर्भ में उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् यह आवश्यकता महसूस होती हैं कि कदम-कदम पर महिलाओं के मानवाधिकारों की लैंगिक आधार पर अनदेखी की जा रही हैं। जन्म लेने के पूर्व से मृत्युपर्यन्त महिलाओं के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए अभी एक लम्बी लड़ाई स्वयं लड़नी हैं। उसे शिक्षित होकर समाज में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों का मुकाबला स्वयं करना हैं। समाज में व्याप्त दहेज रूपी दानव को भगाने के लिए युवा पीढ़ी को

ISBN : 978-81951728-5-6

तैयार करना होगा। हमारे समाज में महिला-पुरूष लिंगानुपात में लगातार हो रही कमी समाज की आने वाली भयावह स्थिति का आगाज करा रही हैं। इसी सन्दर्भ में महिलाओं को स्वयं आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या का पूरजोर विरोध करना होगा।

ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां,
स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटिया,
रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को,
दो-दो कुलो की लाज को ढोती हैं बेटियां।

भारत में महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरूद्ध संघर्ष करने हेतु जन जागृति पैदा करनी होगी।

हमें अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए समाज में महिलाओं को और अधिक जागरूक बनाना हैं।

सन्दर्भ सूची

1. *मृदुला सिन्हाः छीनना ही पड़ेगा हक, राजस्थान पत्रिका, 8-3-2009*
2. *तिस्ता सितलवाड़ः कितना आगे बढ़ी नारी (चेतना जरूरी) राज. पत्रिका 7-3-2009*
3. *स्त्री विमर्श (विविध पहलू): डॉक्टर कल्पना वर्मा।*
4. *महिला और मानवाधिकारः एम.ए. अंसारी।*
5. *महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनाः सुरेन्द्र कुमार शर्मा।*
6. *महिला अधिकार और शिक्षाः डॉ. हरिदास रामजीशरण शेंडे 'सुदर्शन'।*
7. *भारतीय समाज में नारीः रमा षर्मा व एम.के. मिश्रा अर्जुन पब्लिशिंग दिल्ली 2010*

ISBN : 978-81951728-5-6

8. *लिंग एवं समाजः नाटाणी नारायण गौतम ज्योति रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली 2005*
9. *महिला जागृति और सशक्तिकरणः संजीव गुप्ता व सोनी वर्मा सवलिया बिहारी अविश्कार पब्लिशर्स ड्रिस्टीब्यूटर्स जयपुर राजस्थान 2009*
10. *महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार (2006) - सुधा अवस्थी*